रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 281

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 1974/माघ 1, 1895

No. 33] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 1974/MAGHA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st January 1974

S.O. 46(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri S. Mohan Kumaramangalam, a member elected to that House from the Pondicherry parliamentary constituency in the Union Territory of Pondicherry;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (i) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 4th March, 1974, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/POND-HP/1/73(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1974

एस० ओ० 46 (अ).—यतः पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन सदस्य श्री एस० मोहन कुमारमंगलम की मत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 4 मार्च, 1974 से पूर्व, उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित करवें।

[सं० 100/पांडि-लो० स०/1/73(1)]

S.O. 47(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in the Pondicherry parliamentary constituency in the Union Territory of Pondicherry in pursuance of its notification No. 100/POND-HP/1/73(1), dated the 21st January, 1974:—

(a) the 28th January, 1974 (Monday) as the last date for making nominations;

(b) the 29th January, 1974 (Tuesday) as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 31st January, 1974 (Thursday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 24th February, 1974 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 4th March, 1974 (Monday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/POND-HP/1/73(2)]

एस० ओ० 47(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पांडि-लो० स०/1/73 (1), तारीख 21 जनवरी, 1974 के अनुसरण में पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	28 जनवरी, 1974 (सोमवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	29 जनवरी, 1974 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख	31 जनवरी, 1974 (बृहस्पतिवार)
(घ) वह तारीख जिसकी यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	24 फरवरी, 1974 (रविवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा।	4 मार्च, 1974 (सोमवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/पांडि-लो०स० /1/73(2)]

S.O. 48(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8 A.M. to 5 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from Pondicherry parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/POND-HP/1/73(1), dated the 21st January, 1974.

[No. 100/POND-HP/1/73(3)]

By order,

B. N. BHARDWAJ, Secy.

एस० ओ० 48 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पांडि०-लो० स०/1/73 (1), तारीख 21 जनवरी, 1974 के अनुसरण में पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/पांडि–लो०स०/1/73(3)]

आदेश से,

बी० एन० भारद्वाज, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974